

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला-उदयपुर

प्रार्थी :- श्री धनराज

विपक्षी :- श्री विजयकुमार

किस्म मुकदमा - 53 रा.का.अ.

पत्रावली संख्या : 88/18

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सुचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 13.08.2022</p> <p>पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प में पेश हुई। प्रकरण में अधिवक्ता वादी उपस्थित। अधिवक्ता वादी द्वारा बंटवाडा किया जाने का निवेदन किया।</p> <p>हमने प्रकरण का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। तहसीलदार मावली से प्राप्त पीडी पालना का अवलोकन किया। अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता वादी द्वारा तहसीलदार मावली से प्राप्त पीडी पालना पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं कर पीडी पालना पर सहमति व्यक्त कर मौके पर काश्तकारों के आने जाने के लिए रास्ते की भी सहूलियत होना बताकर प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है। वादी से बंटवाडा शुल्क 100/- अक्षरे एक सौ रूपये स्टाम्प वसूल कर शामिल फाईल किया जावे।</p> <p>परिणामस्वरूप वादी का वाद स्वीकार किया जाता है कि मौजा सुखवाडा पटवार हल्का साकरिया खेडी की निम्न आराजीयात का बंटवाडा निम्नानुसार अन्तिम किया जाता है :-</p>	

क्र	नाम खातेदार	आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1	धनराज पुत्र हीरालाल धींग हिस्सा पूर्ण जाति जैन सा सुन्दवास उदयपुर खातेदार	1068/1 मी.	0.3561	बंजड	1.19
	योग	किता 1	0.3561	-	1.19
2	रामलाल विजयकुमार पुत्र मेघराज हिस्सा 1/2 जाति बंजारा सा नाहरमगरा खातेदार विष्णु, संजय पुत्र कालु हिस्सा 1/2 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा उदयपुर खातेदार	1068/1/1	0.4533	बंजड	1.51
	योग	किता 1	0.4533	-	1.51

नोट- उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। अन्तिम डिक्री अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।
निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(कपिल कुमार कोठारी)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली



अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला-उदयपुर

पीठासीन अधिकारी: श्री कपिल कुमार कोठारी, R.A.S

मुकदमा नम्बर : 88/18 (वाद) GCMS No. : 2018/00193

उनवान

1. श्री धनराज धींग पिता हीरालाल जैन निवासी सुन्दरवास उदयपुर जिला उदयपुर।

.....वादी

बनाम

1. श्री विजयकुमार पिता मेघराज बंजारा निवासी बंजाराखेडा, बजाजनगर नाहरमगरा तह. मावली।
2. श्री रामलाल पिता मेघराज बंजारा निवासी बंजाराखेडा, बजाजनगर नाहरमगरा तह. मावली।
3. श्री विष्णु पिता कालु प्रजापत निवासी 84 कुम्हारवाडा उदयपुर।
4. श्री संजय पिता कालु प्रजापत निवासी 84 कुम्हारवाडा उदयपुर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
6. पटवारी, पटवार हल्का साकरिया खेडी तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता वादी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 13.08.2022 को कपिल कुमार कोठारी, R.A.S. उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि मौजा सुखवाडा पटवार हल्का साकरिया खेडी की निम्न आराजियात का बटवाडा निम्नानुसार अंतिम किया जाता है :-

क्र	नाम खातेदार	आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1	धनराज पुत्र हीरालाल धींग हिस्सा पूर्ण जाति जैन सा सुन्दरवास उदयपुर खातेदार	1068/1 मी.	0.3561	बंजड	1.19
	योग	किता 1	0.3561	-	1.19
2	रामलाल विजयकुमार पुत्र मेघराज हिस्सा 1/2 जाति बंजारा सा नाहरमगरा खातेदार विष्णु, संजय पुत्र कालु हिस्सा 1/2 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा उदयपुर खातेदार	1068/1/1	0.4533	बंजड	1.51
	योग	किता 1	0.4533	-	1.51

नोट-उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। यह आज तारीख 13.08.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(कपिल कुमार कोठारी)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली